हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2017 से 31-03-2018

भाग-एक

1. प्रारम्भिक :-

(क) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड, अधिनियम 1986 की धारा 20 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है l

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी तकनीकी शिक्षा बोर्ड में कार्यरत रहेः-

क्रम संख्या	पद	नाम	अवधि
1.	अध्यक्ष	श्री संजय गुप्ता	01-04-17 से 11-05-18
2.	सचिव	श्री सुनील कुमार वर्मा	17-03-10 से लगातार
3.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	श्री एम०डी० शर्मा	24-02-15 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं0	विवरण	पैरा सं0	(₹)लाखों में
1.	चालू खाते में जमा राशि रखने पर ब्याज की हानि l	6.	0.21
2.	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे l	7.	45.00
3.	अनियमित भुगतान l	9	0.25
4.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अनियमित भुगतान l	10	0.09

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई l समीक्षा के दौरान पाया गया कि बोर्ड प्रशासन द्वारा पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनो पर कार्यवाई उपरान्त अभी भी बहुत पैरे

अनिर्णीत है l अत: परामर्श दिया जाता है कि गत सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष अनुच्छेदों पर वांछित कार्यवाई शीघ्र अम्ल में लाई जाये तथा पैरों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाये l वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है l

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परिक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेद में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही सहायक नियन्त्रक व श्री प्रीतम चन्द, क० ले०प० द्वारा दिनांक 22-09-2018 से 17-10-2018 तक के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया l आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 05/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/18 को चयनित किया गया l

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन को बोर्ड के नियन्त्रण अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है l स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इंकार करता है l अंकेक्षण की जिम्मेदारी केवल चयनित माह तक सीमित है l

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹32800 आँका गया l उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 248 दिनांक 18-11-16 द्वारा सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अनुरोध किया गया है l सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट सं 106741 दिनांक 17-11-18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला -09 को प्रेषित कर दिया गया है l

4 **वितीय स्थिति:-**

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई बोर्ड की अंकेक्षण अवधि की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से रही :-

(क) GENERAL +PAT CASH BOOK 2017-18 (परिशिष्ट-B)

विवरण	**राशि**
आरम्भिक शेष	**274649680.67**
पावतियां	78867635.23
ब्याज(बचत)	1782067.00
ब्याज(सावधि)	19344940.00
कुल जोड़	**374644322.90**
व्यय	76146048.69
अन्त शेष	**₹298498274.21**

अन्त शेष का विवरण:- दिनांक 31-3-18 को सामान्य निधि से सम्बन्धित बचत खातों में तथा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि के अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया :- **(परिशिष्ट B-1 व B-2)**

बैंक खातों में जमा राशि (परिशिष्ट B-1)

क्रम सं0	**बैंक खाता सं0**	**बैंक का नाम**	**राशि**
1.	87950100608745	हि.ग्रामीण बैंक दाड़ी	507345.60
2.	26030110001707	यूको बैंक दाड़ी	5092924.38
3.	20129032449	के०सी०सी०बी० दाड़ी	8420247.00
4.	11510110009284	यूको बैंक धर्मशाला	929351.60
5.	65253537577	एस०बी०आई० कचेहरी	5129304.32
6.	10551097385	एस०बी०आई० धर्मशाला	419593.73
7.	10551212323	एस०बी०आई० धर्मशाला	36935.58
8.	20129033816	के०सी०सी०बी० दाड़ी	4256379.00
9.	771101011000001	विजया बैंक काँगड़ा	13660.00
10.	36747943246	एस०बी०आई० धर्मशाला	463100.00
11.	सामान्य निधि+PATनिधि से सम्बन्धित सावधि जमा योजना में निवेशित राशि**(परिशिष्ट B-2)**		274414416.00

कुल जोड़ 299683257.21

नोट-1:-दिनांक 31-3-18 को बैंक एवं रोकड़ बही के अन्त शेष में ₹1184983 {₹299683257.21 (-) ₹298498274.21} का अन्तर पाया गया जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट B-1** पर दी गई है l

नोट-2:- उक्त **परिशिष्ट B-1** पर वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है जिनका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाये l

नोट-3:-उक्त **परिशिष्ट B-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में ड्राफ्ट बैंक में जमा दर्शाए गया है जिनको बैंक द्वारा 31-3-18 तक क्रेडिट नहीं किया गया है l अत: इस ड्राफ्ट को 31-3-18 के पश्चात बैंक द्वारा क्रेडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये l इसी प्रकार बैंक समाधान विवरणिका में कुछ चैक जारी किये गए है जिनको दिनांक 31-3-18 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया l अत: इन चैकों को 31-3-18 के पश्चात प्रस्तुत करने की तिथि अंकित की जाए तथा यदि इनमें से कुछ चैक निर्धारित समय अवधि तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए हो तो उन चैकों के बारे में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाकर इनको वापिस खातों में जमा किया जाए l

(ख) TWF CASH BOOK 2017-18 (परिशिष्ट-C)

विवरण	**राशि**
आरम्भिक शेष	**781505.67**
पावतियां +	77470.00
ब्याज(बचत)	33672.00
कुल जोड़	**892647.67**
व्यय	शून्य
अन्त शेष	**892647.67**

अन्त शेष का विवरण :-

TWF CASH BOOK से सम्बन्धित बैंक खाते में दिनांक 31-3-18 को अन्त शेष निम्न प्रकार से रहा:- **(परिशिष्ट C-1)**

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**राशि**
SBI	**10551210336**	**1038834-67**

नोट-1:- दिनांक 31-3-1 8 को रोकड़ बही तथा बैंक खाते में जमा राशि में ₹146187 (₹1038834.67-₹892647.67) का अन्तर पाया गया जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट C-1पर** दी गई है l

नोट-2:- उक्त **परिशिष्ट C -1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है जिनका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाए l

नोट-3:- उक्त **परिशिष्ट C -1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में चैक बैंक में जमा दर्शाए गए है जिनको बैंक द्वारा 31-3-18 तक क्रेडिट नहीं किया गया है l अत:इन चैकों को 31-3-18 के पश्चात बैंक द्वारा क्रेडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये l

नोट-4 :- उक्त **परिशिष्ट C-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में चैक सं 00021 दिनांक 03-07-17 को गलती से उक्त निधि में जमा किया गया उक्त राशि को अब उक्त निधि से आहरित कर CPF निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए l

(ग) CPF CASH BOOK 2017-18 (परिशिष्ट-D)

विवरण	**राशि**
आरम्भिक शेष	**22028825.06**
पावतियां	2391443.00
ब्याज(सावधि+बचत)	1512528.00
सामान्य खाता से हस्तांतरित	200000.00
जोड़	26132796.06
व्यय	5529149.50
अन्त शेष	**20603646.56**

अन्तशेष का विवरण :- CPF CASH BOOK से सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31-3-18 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहा :-

बैंक का नाम	परिशिष्ट	खाता सं	राशि
SBI	**परिशिष्टD-1**	10551097396	2380663.56
सावधि जमा में निवेशित राशि	**परिशिष्ट D-2**		18159621.00
		कुल जोड़	**20540284.56**

नोट-1:-दिनांक 31-3-18 को रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹63362 (₹20603646.56-₹20540284.56) का अन्तर पाया गया जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट D-1** पर दी गई है l

नोट-2:- उक्त **परिशिष्ट D-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है जिनका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाए l

नोट-3:- उक्त **परिशिष्ट D-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशि बैंक में जमा दर्शाई गई है जिनको बैंक द्वारा 31-3-18 तक क्रेडिट नहीं किया गया है अत:इन राशियों को 31-3-18 के पश्चात बैंक द्वारा क्रेडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये l

नोट-4:- उक्त **परिशिष्ट D-1** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में चैक सं 00021 दिनांक 03-07-17 की राशि को गलती से TWF निधि में जमा किया गया जबकि इस राशि को TWF निधि से आहरित कर उक्त निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए l

नोट-5:- बोर्ड की C.P.F से सम्बन्धित दायित्व (Liabilities) तथा उसका भुगतान करने के लिए C.P.F से सम्बन्धित विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि एवं सावधि में जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट D-3** पर दिया गया है l

(घ) गुप्त निधि 2017-18 (परिशिष्ट-E)

परिशिष्ट-E में सलग्न उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार गुप्त निधि खाते को हस्तांतरित की गई राशि व उसमे से किये गए व्यय एवं अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से रहा :-

विवरण	राशि
आरम्भिक शेष	**2573392 . 74**
सामान्य खाता से हस्तांतरित	4000000 . 00
ब्याज	42971 . 00
जोड़	**6616363 . 74**

व्यय	6071644.00
अन्त शेष	**544719.74**

(ङ.) DCRG/LEAVE ENCASHMENT 2017-18 (परिशिष्ट F-1 से 4)

विवरण	**राशि**
आरम्भिक शेष (परिशिष्ट F-1)	**41880486.00**
सामान्य खाता से हस्तांतरित	8000000.00
ब्याज (सावधि+बचत)	2741330.00
जोड़	**52621816.00**
व्यय	2775595.00
अन्त शेष	**49846221.00**

अन्तशेष का विवरण :- DCRG/leave encashment CASH BOOK से सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31-3-18 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहा :-

बैंक का नाम	**परिशिष्ट**	**खाता सं0**	**राशि**
KCCB	**परिशिष्ट F-3**	50058413634	8639311-00
सावधि जमा में निवेशित राशि **(परिशिष्ट F-4)**			41206910-00
		कुल जोड़	**₹49846221-00**

(i) रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-18 को अन्त शेष ₹49846221-00

(ii) बैंक अनुसार दिनांक 31-03-18 को अन्त शेष ₹49846221-00

5 **रोकड़ बही का नियमानुसार रख -रखाव न किया जाना :-**

अंकेक्षण के दौरान बोर्ड की रोकड़ की जाँच करने पर पाया गया कि जब भी रोकड़ बही में कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद का गलत ईन्द्राज हो जाता है तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उसे काट कर एवं ठीक करके मद को पुन:लिखने के स्थान पर गलत ईन्द्राज के उपर फ्लूड लगा के ही उसे ठीक कर दिया जाता है जो कि अनुचित प्रक्रिया है l इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है व न ही प्रत्येक माह रोकड़ बही का बैंक से मिलान नहीं किया गया था l इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा

वार्षिक लेखों को भी समय पर तैयार नहीं किया गया था इस कारण संस्था की वितीय स्थिति व वार्षिक खातों की जाँच/ व बैंक से मिलान करने में ऑडिट को अधिक समय खर्च करना पड़ा l रोकड़ बही व अन्य उक्त अनियमितताओं के बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 281 दिनांक 03-10-18 द्वारा सचिव ,तकनीकी शिक्षा बोर्ड को अवगत करवाया गया व सचिव ,तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा चर्चा के दौरान समस्त अभिलेख ठीक ढंग से व समय पर तैयार करने का आश्वासन दिया l अत:परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही में किसी ईन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर तथा नई प्रविष्टि को पुन: लिखकर एवं सक्षम अधिकारी इसे प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर इसका पुन: ईन्द्राज किया जाये l इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किये गए कुल व्यय के विवरण के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाये तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक से मिलान प्रत्येक माह किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये l

6 बोर्ड द्वारा बैंक के चालू खाते में ₹4.63 लाख की राशि जमा रखने के कारण ₹0.21 लाख के ब्याज की हानि बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा दिनांक 20-04-17 को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की धर्मशाला शाखा में चालू खाता सं 36747943246 खोला गया व दिनांक 15-05-17 से ऑडिट के दौरान तक ₹463100 की राशि शेष थी व इस राशि पर कोई ब्याज की राशि अर्जित नहीं की गई l बोर्ड द्वारा उक्त राशि चालू खाते से आहरित कर बचत खाते में जमा करवाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया ,परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार लगभग ₹20618 ब्याज की हानि हुई है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए l

क्रम सं0	तिमाही	मूलधन	प्राप्त ब्याज	गणना उपरांत ब्याज (3.5%)	कुल राशि
1.	15-05-17 से 14-08-17	463100	----	4052	467152
2.	15-08-17 से 14-11-17	467152	----	4088	471240
3.	15-11-17 से 14-02-18	471240	----	4123	475363

4.	15-02-18 से 14-05-18	475363	----	4159	479522
5.	15-05-18 से 14-08-18	479522	----	4196	483718
			कुल ब्याज	**₹20618**	

7 ₹45.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा मुख्य अधीक्षण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश औधौगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड शिमला के पास डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत निम्न निर्माण कार्य हेतु दिनांक 31-3-18 तक ₹4500000 जमा करवाई गई परन्तु इन कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवयश्क जाँच हेतु अंकेक्षण के दौरान तक प्रस्तुत नहीं किए गए l अत: इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभाग से अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाए l

क्र०सं0	**कार्य का नाम**	**ड्राफ्ट सं व दिनांक**	**राशि**
1.	R/M guest room		2485600
2.	R/M type three quarter		329815
3.	R/M type one quarter		122300
4.	R/M board colony gate	365355 dt. 03-03-18	609600
5.	R/M administrative block(old)		313085
6.	pvc panelling in chairman & confrence hall		639600
		कुल जोड़	**₹4500000**

8 निविदाओं को pool करने बारे:-

निम्न लिखित बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि वेक्यूम क्लीनर की खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही है :

वा.सं. 820 माह 03/18 मै० अरोरा इंटरप्राइजेज धर्मशाला , ₹7900 (एक वेकयूम क्लीनर)

(1)मै० अरोरा इंटरप्राइजेज धर्मशाला :- 94180-91003

(2)मै० रिची इंटरप्राइजेज धर्मशाला :- यथोपरि

(3)**मै० नम्रता इंटरप्राइजेज धर्मशाला** :- शून्य

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वाउचरों के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया है जिसकी जाँच बोर्ड की क्रय कमेटी द्वारा नहीं की गई l ऑडिट को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक फर्म को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इस खरीद में किसी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है l इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये l

9 अनियमित रूप से भोजन पर ₹0.25 लाख के व्यय बारे :-

अंकेक्षण के दौरान वाउचर सं 957 माह 03/18 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹30000 की राशि अग्रिम के रूप में श्री संजीव कुमार,क्लर्क को तकनीकी शिक्षा बोर्ड में वर्क शॉप हेतु विभिन्न प्रधानाचार्यों, विभाग अध्यक्षों व वरिष्ठ प्रवक्ताओं को दोपहर के भोजन हेतु अनियमित रूप से भुगतान किया गया जबकि इस प्रकार के व्यय को बोर्ड द्वारा पारित नहीं करवाया गया था व न ही प्रति व्यक्ति भोजन/जलपान की दरें निर्धारित की गई थी l उक्त अग्रिम के समायोजन हेतु हिमाचल पर्यटन विकास निगम के निम्न लिखित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए l

दिनांक	विवरण	राशि
19-03-18	20 personal veg.lunch @450	9000
यथोपरि	5 staff lunch @ 275	1375
20-03-18	26personal veg.lunch @450	11700
यथोपरि	5 staff lunch @ 275	1375
	GST	1174
	Total	**₹24624**

उक्त अनियमित व्यय को बोर्ड की बैठक में पारित करवा कर नियमित करवाया जाए व भविष्य में भी इस प्रकार के भुगतान को नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

10 चिकित्सा व्यय प्रतिभूति के रूप में ₹0.09 लाख का अनियमित व्यय :–

वाउचर सं.954 व 991 माह 03/18 की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार श्री सुरेश कुमार,अधीक्षक को उनके परिवार के सदस्यों का इलाज होमियो केयर क्लिनिक धर्मशाला जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश से करवाने के लिए उक्त अस्पताल को दवाइयों के खर्चे हेतु ₹9100 का भुगतान किया गया l अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि उक्त अस्पताल/क्लिनिक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के इलाज के लिए अधिसूचित निजी अस्पतालों की सूचि में सम्मिलित नहीं था l अत: निम्न विवरणानुसार ₹9100 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित से उक्त राशि की वसूली कर बोर्ड निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए l

परिवार के सदस्य का नाम	**सम्बन्ध**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
श्रीमती राज कुमारी	पत्नि	3700
कुमारी निकिता सेठी	बेटी	5400
	जोड़	**₹9100**

11 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना -:

आयकर अधिनियम की धारा 194 के अनुसार किसी भी फर्म द्वारा अपनी सेवाए प्रदान करने के बदले एक बार में ₹30000 से अधिक व एक वित्तीय वर्ष में ₹75000 से अधिक की राशि के भुगतान पर individual से 1% की दर से व फर्म से 2% की दर से स्त्रोत पर आयकर की कटौती करना अपेक्षित था l

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार मै० एस० सी० धर एन्ड सन्स धर्मशाला को बैलेंस शीट को तैयार करने हेतु (अवधि 04/13 से 03/18) **₹**38500 का भुगतान किया गया परन्तु 2% की दर से स्त्रोत पर **₹**770 आयकर की कटौती नहीं की गई l अत :स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार आयकर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए l

12 यात्रा भत्ता दावे के अधिक भुगतान बारे :-

वाउचर सं 993 माह 03/18 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री सुनील वर्मा, सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड को अवधि 12/17 से 02/18 के लिए ₹3740 के यात्रा भत्ता दावे का भुगतान किया गया था l अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनांक 01-01-18 व 20-02-18 को ₹200 प्रति दैनिक दर का केवल 70% दैनिक दर के हिसाब से ₹280 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जबकि पूर्ण दैनिक दर से ₹400 का भुगतान किया गया l परिणामस्वरूप ₹120 (₹400-₹280) अधिक भुगतान किया गया l ऑडिट द्वारा आपत्ति जताने पर अधिक भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित से वसूल कर रसीद सं 71075 दिनांक 17-10-18 को ऑडिट के दौरान ही जमा करवा दिया गया है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है ,भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए l

13 **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है l

14 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवयश्कता है l

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच (2) (सी)(15)(14) 111/82 खण्ड–8–302–304 दिनांक 14.1.19 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला–2

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0।

पंजीकृत 3 सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पैरा संख्या 1 (घ) में सन्दर्भित परिशिष्ट – "A"

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1992 से 1995

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**पैरे की स्थिति**	**पैरे का संक्षिप्त विवरण**	**टिप्पणी**
1.	पैरा-13	अनिर्णीत	प्रतिनियुक्ति के रूप में किए गए अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1997 से 1998

क्र० सं०	**पैरा सं0**	**पैरे की स्थिति**	**पैरे का संक्षिप्त विवरण**	**टिप्पणी**
1.	पैरा-22(ङ.)	अनिर्णीत	अधिवक्ता के किए गए अधिक भुगतान के सन्दर्भ में	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007 से 2008

				टिप्पणी
1.	पैरा-8	अनिर्णीत	बोर्ड की समस्त भूमि का राजस्व सम्बन्धी रिकार्ड प्रस्तुत करने बारे	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2009 से 2010

क्र० सं०	**पैरा सं0**	**पैरे की स्थिति**	**पैरे का संक्षिप्त विवरण**	**टिप्पणी**
1.	पैरा-11	अनिर्णीत	राजपत्रित अवकाश वाले दिन गाड़ी के प्रयोग बारे	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2011 से 2012

क्र०सं०	**पैरा स०**	**पैरे की स्थिति**	**पैरे का संक्षिप्त विवरण**	**टिप्पणी**
1.	पैरा-9	अनिर्णीत	बिना सरकार की अनुमति के निदेशक तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 करोड़ प्रदान करने बारे	
2.	पैरा-10	अनिर्णीत	आई०टी०आई० परिसर धर्मशाला में कम्पूटर प्रयोगशाला व तीन आवासों के निर्माण बारे	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2014 से 2015

क्र०सं०	**पैरा स०**	**पैरे की स्थिति**	**पैरे का संक्षिप्त विवरण**	**टिप्पणी**

1.	9	अनिर्णीत	एच०आर०टी०सी० से स्क्रीनिग टेस्ट के बकाया ₹15 लाख न वसूलने बारे l	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2015 से 2016

क्र०सं०	पैरा स०	पैरे की स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1.	5	अंशत:निर्णीत	अग्रधन राशि के समायोजन बारे l	
2.	6	अनिर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाने बारे l	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2016 से 2017

क्र०सं०	पैरा स०	पैरे की स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1..	5	अनिर्णीत	श्री गम्भीर सिंह नेगी(सेवानिवृत) की अर्हक सेवा की गणना की त्रुटी बारे l	
2.	6	निर्णीत	आयकर की स्त्रोत पर कटौती न करने बारे l	दिए गए उत्तर अनुसार
3.	7	निर्णीत	अग्रिम राशि के समायोजन न करने बारे l	वा.सं 758 दिनांक 16-02-18 द्वारा
4.	8	निर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे l	प्रमाण पत्र देख लिया है
5.	9	निर्णित	तकनीकी शिक्षा बोर्ड की गाड़ियों का बीमा न करने बारे l	कार्यवाही देख ली गई है
6.	10	निर्णित	तकनीकी शिक्षा बोर्ड की गाड़ियों का वार्षिक टैक्स जमा करवाने बारे l	यथोपरि
7.	11	निर्णित	PAT व LEET से सम्बन्धित भुगतान में छात्र संख्या में पाई गई भिन्नता बारे l	यथोपरि
8.	12	निर्णित	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना	यथोपरि

अनिर्णीत पैरों का सार	पैरो की संख्या
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुसार अनिर्णीत पैरे	17
वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)10
कुल पैरे	27
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	07

अन्त शेष (दिनांक 31-3-18 तक)	**20**